न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. सं0 2024/79

सिविल प्रकरण संख्याः– 45/2024 तारीख रजू 02.04.2024

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. तुलसा देवी पत्नि बद्रीलाल माली निवासी माली मोहल्ला छाण, तह. खण्डार जिला सवाई माधोपुर (मौके पर विक्रेता) मैसर्स शिव शक्ति किराना स्टोर, छाण, तह. खण्डार, सवाई माधोपुर।
2. बद्रीलाल माली पुत्र देवी राम माली निवासी माली मोहल्ला छाण, तह. खण्डार जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक) मैसर्स शिव शक्ति किराना स्टोर, छाण, तह. खण्डार, सवाई माधोपुर।

.... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं 2(V)/ 51& 58 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– दिनांक 06.04.2026

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेदप्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं 2(V) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध के लिये युद्ध अन्तर्गत दिनांक 23.06.2023 को 3.00 पी.एम. पर मैसर्सः– शिव शक्ति किराना स्टोर, छाण, खण्डार सवाईमाधोपुर पर पहुंचा। आवेदक द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र की प्रति पेश की तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को **Ghee (Loose)** में विक्रय हेतु रखा हुआ था। उक्त **Ghee (Loose)** में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर **Ghee (Loose) 01** लीटर खरीदें उसकी कीमत 550/– रूपये विक्रेता श्रीमती तुलसा देवी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्रीमती तुलसा देवी के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान सुमीर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं0 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट ... र विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:27 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **Ghee (Loose)** को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Ghee (Loose)** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-2908** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकत्सिा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप कमांक **H-2908** नियमानुसार चारो नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें । चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारो नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म सं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में आवेदक द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की। दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्रांक एफएसएसए/2023/935 दिनांक 28/08/2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/2591/एक्ट/2023/2598 दिनांक 04/07/2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Ghee (Loose), Substandard and Contravences** होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2024/234 दिनांक 01.04.2024 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

उक्त प्रकरण में उपर अंकित अभियुक्तगण द्वारा **Substandard and Contravences Ghee (Loose),** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:27 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

धारा 2(ii) एवं 2(v) का उल्लंघन किया गया है जोकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 एवं 58 में जुर्माने योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण जरिये अधिवक्ता श्री मुकेश बंसल उपस्थित आए तथा प्रकरण में जवाब पेश किया। प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण द्वारा **Ghee (Loose)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं 2(v) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किया जावे।

वकील अभियुक्तगण ने प्रस्तुत जबाव को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि प्रार्थी छोटा दुकानदार है जो गांव में गोली बिस्कुट की दुकान करते है। बडी दुकान माधोपुर से सामान लाते है और गांव में बेचते है। प्रार्थीगण कोई थोक दुकानदार नहीं है वह पैक डिब्बे लाते है और उन्हें बेचते है वह कोई निर्माता नहीं है। प्रार्थीगण को उपरोक्त प्रकरण में झूठा फसाया गया है। उपरोक्त प्रकरण में कोई भी कार्यवाही नियमानुसार नहीं की गई सब टारगेट करने के लिये खानापूर्ति की गई जो निरस्तनीय है। अन्त में वकील अभियुक्तगण ने अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई कार्यवाही निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/ 2591/एक्ट/2023/2598 दिनांक 04/07/2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Ghee (Loose)** की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर Fatty acid profile by method AOAC 996.06 GC-FID के तरीके से Foreign Fat का टेस्ट कराने पर Foreign Fat उपस्थित पाया गया है। इसी प्रकार जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में B.R.Reading at 40.0^{0}C results 46.6 आई है जोकि 40.0 to 44.0 होनी चाहिए थी। नमूने में Reichert value results 16.74 आया है जोकि Minimum 24.0 होना चाहिए था। इसके साथ ही Baudouin test negative होना चाहिए था जोकि Positive आया है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त नमूना जांच की पुनः रेफरेल जांच भी नहीं करवाई गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) एवं 2(v) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्त द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:27 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अतः अभियुक्तगण को सबस्टेण्डर्ड एवं कन्ट्रावेन्स प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Ghee (Loose)** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के अन्तर्गत अभियुक्तगण पर संयुक्त रूप से 30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.**04.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:27 IST
Reason: SelfAttested